न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।
परिवाद पत्र सं0 – 64सी /2026
कुंदन कुमार बनाम प्रवीण कुमार तथा अन्य

01.06.2026 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में वाद आज शपथ पर बयान हेतु निर्धारित है। परिवादी अनुपस्थित है तथा उसकी तरफ से किसी तरह का कोई हाजरी पैरवी नही है। प्रस्तुत मामला न्यायालय में 09.03.2026 को प्रस्तुत किया गया और आज शपथ पर बयान का अवसर बंद किया गया।

अतः प्रस्तुत मामले में समस्त तथ्यों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामलें में परिवादी को शपथ पर बयान हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया परंतु प्रतीत होता है की परिवादी की परिवाद में कोई रूची नही है।अतः प्रस्तुत परिवाद पत्र को **खारिज** किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आदेश फलक को एन.जे. डी. जी. पर अपलोड करे तत्पश्चात् अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित,

दिनांक –01.06.2026

स्थान– व्यवहार न्यायालय, अरवल

(मनीष कुमार पाण्डेय)
(जे0 ओ0 कोड बी0 आर0 00961)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,अरवल।